संख्या : भा.ति.सी.पु / 40वीं / स्था0–2 / अनुशासन / बच्चू राय / 2024– 1101
कार्यालय सेनानी, 40वीं वाहिनी,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
सुकुरहुटू कैम्प, पत्रालय– कॉके, जनपद– रॉची (झारखण्ड)–834006

दिनांक:– 07/3/24

अधिसूचना

आप, दल संख्या 110130709 कांस्टेबल(जी.डी.) बच्चू राय, दिनांक–28.10.2023 (पूर्वा0) से बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं सूचना के सामरिक मुख्यालय, 40वीं वाहिनी, डोंगरगढ से अनुपस्थित चल रहे है, जोकि भा0ति0सी0पु0 बल अधिनियम–1992 की धारा 21(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

2. आपके द्वारा स्वेच्छा से कैम्प परिसर, सामरिक मुख्यालय, 40वीं वाहिनी, डोंगरगढ से अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं0–61137 दिनांक 09.11.23 एवं 6311 दिनांक 15.11.23 के तहत आपको गृहनगर के पते पर सामरिक मुख्यालय, 40वीं वाहिनी, डोंगरगढ में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही आपके उत्तराधिकारी (पत्नी) से भी अनुरोध किया गया कि वे आपको ड्यूटी पर आमद देने हेतु प्रेरित करे, लेकिन आपने अपनी आमद नहीं दी। इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–6312 दिनांक– 15.11.2023 के तहत् पुलिस अधीक्षक, जिला–जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल) से आपको गिरफ्तार कर सेनानी, 40वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0 बल को सुपुर्द करने बाव्त अनुरोध किया गया, परन्तु पुलिस अधीक्षक, जिला–जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) द्वारा आपको अभी तक गिरफ्तार कर सेनानी, 40वीं वाहिनी को न तो सुपुर्द किया गया और ना ही आपके द्वारा स्वंय अपनी आमद अभी तक दी है।

3. भा0ति0सी0पु0बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (1) के अनुसार आदेश संख्या 6488 दिनांक 01.12.2023 के तहत आपके अनुपस्थित होने के कारणों का पता लगाने हेतु एक न्यायिक जॉच न्यायालय का गठन किया गया। भा0ति0सी0 पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार आदेश संख्या 84–91 दिनांक 06.01.2024 के तहत आपको दिनांक 28.10.2023 (पूर्वा.) से बल से **भगौड़ा (DESERTER)** घोषित किया जा चुका है।

4. अतः इस विषय में अंतिम निर्णय लेने से पहले यदि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो व्यक्गित रूप से सेनानी, 40वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल, सुकुरहुटू कैम्प, पत्रालय– कॉके, जनपद– रॉची (झारखण्ड)–834006 के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से अभ्यावेदन यदि कोई हो तो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर सेनानी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें अन्यथा आपके विरूद्व एकतरफा निर्णय लेते हुए आपको सेवा से बरखास्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

5. **इस अधिसूचना की एक प्रति आपको पंजीकृत डाक से भी भेजी जा रही है। कृपया पावती भेजें।**

(अनन्त नारायण दत्ता)
सेनानी
40वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस

सेवा में,

दल संख्या **110130709** का0 / जीडी बच्चू राय,
पुत्र श्री बिनोद राय,ग्राम–गरताली–जलपेश,
डाकघर–जलपेश मन्दिर, पुलिस स्टेशन–मायनागुडी,
जिला–जलपाईगुड़ी(पश्चिम बंगाल), पिन कोड–735224

CBC 19112/11/0006/2425